राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F 20(101)/आकाशि/लेखा/बजट/2017/98 दिनांक 19/12/19

01. श्रीमान प्राचार्य महोदय, राजकीय महाविद्यालय (समस्त)
02. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

विषय :— राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित किये जाने एवं पे—मैनेजर/पी.आर. आई पे—मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों की एम्पलाई आई.डी. एवं मास्टर डेटा की जांच के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र क्रमांक 3666—4165 दिनांक 13.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित परिपत्र द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी अक्षरशः पालना किया जाना सभी सक्षम अधिकृतियों के स्तर पर अपेक्षित है। उक्त परिपत्र को वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में सभी कार्मिकों से भी यह अपेक्षित है कि वे पे—मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिक लॉगिन से अपना पूर्ण मास्टर डेटा विधिवत जांच लें। यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो अविलम्ब अपने लॉगिन से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्बन कॉपी डेटा की शुद्धता की पूर्ण जांच के उपरांत अपेक्षित संशोधन को स्वयं के स्तर पर डिजीटल हस्ताक्षर युक्त लॉगिन से अधिकृत कर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को अंतिम अधिकृति हेतु फॉरवर्ड किया जाना सुनिश्चित करें।

विभाग अध्यक्ष द्वारा सिस्टम पर जांच एवं अधिकृत करने के उपरांत ही संशोधित डेटा सिस्टम का भाग होगा। डेटा अधिकृति के अभाव में जनवरी देय फरवरी माह के संवेतन बिल का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होंगे।

अतः सभी कार्यालयाध्यक्ष सभी कार्मिकों को सूचित करते हुये 10 जनवरी से पूर्व डेटा अधिकृति सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, उक्त के अभाव में जनवरी देय फरवरी माह का सवेतन भुगतान नहीं होने के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

—Sd—
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F 20(101)/आकाशि/लेखा/बजट/2017/98 दिनांक 19/12/19

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

01. प्रभारी अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्यों से निरन्तर सम्पर्क में रहकर निर्धारित समयाविधि में समस्त कार्मिकों का मास्टर डेटा विभागाध्यक्ष स्तर तक अधिकृत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
02. वेबसाइट प्रभारी, कालेज शिक्षा की विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर